न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स आज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
7/1/25 पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक....21/3/25 को पेश हो। 17/09/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। वास्ते तलबी रिपोर्ट अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 7/10/25 को पेश हो। अन्यथा पत्रावली order 9 Rule 5 के खारिज करदी जावेगी। SDO 07/10/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण लम्बे समय से तलबी के अन्तर्गत विचाराधीन है। अतः पत्रावली O 9 R 5 non-compliance के पत्रावली तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा रिकार्ड हो। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रेम देवी बनाम हरफूल

वाद संख्या– 02/173/2022

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

14.10.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी के खाता संख्या 92 खसरा संख्या 21/0.26, 29/2/0.20, खाता संख्या 91, खसरा संख्या 21/3/0.04, 22/1/0.01, 23/1/0.01, 24/1/0.01, 25/0.14, 28/0.08, 30/413/0.06, वाके ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ जिला अलवर की आराजी को दीगर शख्स को ना रहन बय, ना हिबा आदि द्वारा मुन्तकिल करें ना ही मुन्तकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध करावे ना ही प्रतिवादी संख्या 3 किसी भी प्रकार से मुन्तकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध करे ओर रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को आराजी के खाता संख्या 92 खसरा संख्या 21/0.26, 29/2/0.20, खाता संख्या 91, खसरा संख्या 21/3/0.04, 22/1/0.01, 23/1/0.01, 24/1/0.01, 25/0.14, 28/0.08, 30/413/0.06, वाके ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ जिला अलवर को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.11.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है <u>कि विवादित आराजी पर आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</u> अप्रार्थीगण जरिये रंजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 17.11.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	17/09/25 पत्रावली इकजाई तारीख पे पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते तलबी दिनांक 07/10/25 को पेश हो। SDO 07/10/25 पत्रावली पेश। मूलवाद 09R5 के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रकरण धारा 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर बाद शर्ति मुकम्मल के साथ संलग्न हो। SDO